

08 से 14 जून, 2016 की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

* 01 जून, 2016 से टीसीएस के प्रावधानों में किए गए संशोधन के संबंध में चेम्बर द्वारा केन्द्रीय वित्तमंत्री, भारत सरकार-माननीय श्री अरुण जेटली को पत्र प्रेषित कर माँग की गई है कि टीसीएस की लिमिट बढ़ाई जावे एवं प्रत्येक ट्रांजेक्शन सौदे पर रु. 2.00 लाख तक की नकद व्यवहार की छूट दिए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

* देश की सुप्रसिद्ध बिस्कुट फैक्ट्री, मेसर्स जे. बी. मंघाराम फूड्स प्रा. लि., गोला का मंदिर, ग्वालियर में कुछ कर्मचारियों द्वारा दिनांक 04.06.2016 की मध्य रात्रि से फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़े होकर कर्मचारियों एवं सामान की आवाजाही को अवरुद्ध कर, फैक्ट्री का उत्पादन कार्य बंद कराए जाने पर चेम्बर द्वारा जिलाधीश, ग्वालियर सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री-माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश की वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री-माननीय श्रीमंत यशोधराराजे सिंधिया, प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, आयुक्त, उद्योग विभाग को पत्र प्रेषित कर माँग की गई कि विगत् कई वर्षों से शांतिपूर्वक संचालित हो रही औद्योगिक इकाई जे. बी. मंघाराम में उत्पादन बंद होना, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस फैक्ट्री से लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार वर्तमान में मिल रहा है। अतः जिला प्रशासन व राज्य शासन द्वारा मेसर्स जे. बी. मंघाराम फूड्स प्रा. लि. में जारी हड्डताल को समाप्त कराने में अहम् भूमिका का निर्वाहन करना चाहिए, ताकि फैक्ट्री में उत्पादन कार्य पुनः प्रारम्भ हो सके।

* प्रदेश के कपड़ा व शक्कर व्यवसाईयों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कपड़ा व शक्कर सहित सभी करमुक्त वस्तुओं पर से फार्म-49 को तत्काल वापिस लिए जाने हेतु एवं जाँच चोकियों की समाप्ति हेतु चेम्बर द्वारा प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री-माननीय श्री जयंत मलैया एवं प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को पत्र प्रेषित किए गए, ताकि प्रदेश के कपड़ा व शक्कर व्यवसाई अपना कारोबार बगैर किसी परेशानी के पूर्ववत् संचालित बनाए रख सकें।

* ग्वालियर के व्यवसायी के साथ फर्म विजन ट्रेडर्स, पनवेल नवी, मुम्बई द्वारा धोखाधड़ी करने पर चेम्बर द्वारा पुलिस कमिशनर, नवी मुंबई एवं कलेक्टर, पनवेल, नवी मुम्बई को पत्र प्रेषित कर, विजन ट्रेडर्स, पनवेल नवी, मुम्बई के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की माँग की गई है।

* ग्वालियर लोहा व्यवसायी संघ, ग्वालियर द्वारा नवीन लोहा मण्डी हेतु अविवादित 16 बीघा जमीन शीघ्रातिशीघ्र हस्तांतरण करने के लिए जिलाधीश, ग्वालियर को ज्ञापन प्रेषित किया गया, ताकि यथाशीघ्र ही नवीन लोहा मण्डी का सपना साकार हो सके।

* एचडीएफसी बैंक, दाल बाजार द्वारा शहर के व्यवसाईयों से 10/- रुपये की नगदी नहीं लिए जाने पर चेम्बर द्वारा नोडल अधिकारी, एचडीएफसी बैंक, भोपाल एवं शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक, दाल बाजार को पत्र प्रेषित कर माँग की गई है कि व्यवसाईयों की व्यवहारिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 10 रु. के नोट की गड्ढियाँ शाखा में जमा की जाएं।

* ग्वालियर स्थित वाणिज्यिक कर, कार्यालय को शहर के मध्य स्थानांतरित/स्थापित किए जाने हेतु चेम्बर द्वारा प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया है, ताकि यह कार्यालय व्यवसाईयों की पहुँच में हो।

* ग्वालियर में विगत् काफी वर्षों से स्थापित इण्डो-जर्मन टूल रूम (एक्सटेंशन सेंटर) को बंद किए जाने का चेम्बर द्वारा तीव्र विरोध करते हुए इसे पुनः प्रारम्भ किए जाने की माँग महाप्रबंधक, इण्डो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर, केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार-माननीय श्री कलराज मिश्र एवं प्रदेश की वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री-माननीय श्रीमंत यशोधराराजे सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, इसे बंद किए जाने के निर्णय पर गंभीरता से पुनर्विचार कर, अविलंब पुनः प्रारम्भ कराने की माँग की गई है, ताकि अंचल के उद्योगों को कुशल श्रमिकों की उपलब्धता पूर्व की भांति भविष्य में भी निरन्तर बनी रहे।

* बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस (12442 / 12441) का स्टॉपेज ग्वालियर में दिनांक 21 जून के पश्चात् भी यथावत् बनाए रखे जाने हेतु चेम्बर द्वारा रेलमंत्री-श्री सुरेश प्रभु, रेल राज्यमंत्री-श्री मनोज सिन्हा एवं केन्द्रीय मंत्री-श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री-श्री अनन्त कुमार, चेयरमैन-रेलवे बोर्ड एवं मण्डल रेल प्रबंधक, झाँसी को पत्र प्रेषित किए गए।

* केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री-श्री एम. वेंकैया नायडू के दिनांक 14 जून को 'चेम्बर भवन' में पधारने पर ग्वालियर शहर के चहुँमुखी विकास पर ज्ञापन भेंट किया गया। ज्ञापन के बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए।
2. वेस्टर्न बायपास को सेन्ट्रल बोर्ड से स्वीकृति प्रदान की जाए।
3. ग्वालियर में सिविल एयरपोर्ट की स्थापना की जाए।
4. यमुना एक्सप्रेस-वे को ग्वालियर तक बढ़ाया जाए।
5. ग्वालियर-झाँसी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-75 का निर्माण पूर्ण किया जाए।
6. शहर के चहुँमुखी विकास हेतु 'विशेष आर्थिक पैकेज' उपलब्ध कराया जाए।
7. आगरा फोर्ट-अहमदाबाद एक्सप्रेस (12547 / 12548) ट्रेन को शीघ्र ही ग्वालियर से संचालित किया जाए।
8. बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस (22692-22691) का ठहराव ग्वालियर स्टेशन पर किया जाए।
9. बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस (12442 / 12441) का ठहराव ग्वालियर स्टेशन पर यथावत् बनाए रखा जाए।

* मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान के दिनांक 14 जून को 'चेम्बर भवन' में पधारने पर व्यापार-उद्योग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर ज्ञापन भेंट किया गया। ज्ञापन के बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. खाद कारखाने की स्थापना हेतु ग्वालियर में जमीन उपलब्ध कराई जाए।
2. कपड़ा व शक्कर सहित करमुक्क वस्तुओं से फार्म-49 को समाप्त कर जाँच चोकी समाप्त की जाए।
3. पेट्रोल - डीजल सहित सभी वस्तुओं पर कर की दरें समीपवर्ती प्रदेशों की तुलना से अधिक न हों।
4. जे. बी. मंधाराम फूड्स प्रा. लि. को बंद होने से बचाया जाए।
5. ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2016-17 में ऑटोमोबाइल्स पर रोड टैक्स में 50% छूट प्रदान की जाए।
6. सोन चिरैया अभ्यारण्य को डिनोटिफाइड किया जाए।
7. ग्वालियर शहर में विजली कं. के आला अधिकारियों की हठधर्मिता पर अंकुश लगाया जाए।
8. ग्वालियर कमिशनरी सहित अन्य शासकीय कार्यालय 'साडा' में हस्तांतरित किए जाएं।
9. ग्वालियर में एयर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराई जाए।

10. गवालियर में सिविल एयरपोर्ट की स्थापना की जाए ।
11. नवीन लोहा मण्डि की स्थापना हेतु गवालियर लोहा व्यवसायी संघ को जमीन हस्तांतरण की जाए ।
12. औद्योगिक स्वारक्ष्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा प्रति तीन वर्ष पश्चात् की जाने वाली 30% शुल्क वृद्धि के संबंध में ।
13. महारानी लक्ष्मीबाई (विकटोरिया मार्केट) की पुर्नस्थापना के बाद अस्थाई रूप से विस्थापित दुकानदारों का पुनर्वास किया जाए ।
14. मास्टर प्लान समिति में चेम्बर को प्रतिनिधित्व दिया जाए ।
15. मास्टर प्लान में निजी जमीन को ग्रीन बैल्ट व पब्लिक यूटिलिटीज में न डाला जाए ।
16. डायवर्सन टैक्स ।
17. हाउस/डुप्लेक्स/फ्लेट को गुड्स श्रेणी से मुक्त किया जाए और इसे प्रॉपर्टी की श्रेणी में रखा जाए ।
18. गवालियर में आई.टी.एक्सपो का आयोजन किया जाए ।

* केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री-श्री जयंत सिन्हा के दिनांक 14 जून को 'चेम्बर भवन' में पधारने पर वित्त मंत्रालय से संबंधित माँगों पर विभिन्न समस्याओं पर ज्ञापन भेंट किया गया । ज्ञापन के बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क की पदस्थापना गवालियर में की जाए ।
2. आर्थिक विकास एवं कर प्रणाली में सुधार हेतु देश में जीएसटी को जल्द से जल्द लागू किया जाए ।
3. टी. सी. एस. की लिमिट बढ़ाई जाए एवं प्रत्येक ट्रांजेक्शन सौदे पर 2.00 लाख तक की नकद व्यवहार की छूट दिए जाने हेतु आवश्यक एवं उचित कार्यवाही की जाए ।

* विद्युत वितरण कं. के गवालियर शहर में पदस्थ अधिकारियों द्वारा मनमानी से की जा रही लक्ष्यपूर्ति बिलिंग एवं प्रतिदिन हो रही अनियमित विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के संबंध में चेम्बर द्वारा ऊर्जा मंत्री-श्री राजेन्द्र शुक्ल, मुख्य सचिव-श्री अंटोनी जे.सी. डिसा, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग-श्री आई.सी.पी. केसरी एवं चैयरमेन एवं निदेशक, म. प्र. म. क्षे. वि. वि. कं. लि.-श्री संजय कुमार शुक्ला को पत्र प्रेषित किए गए ।
